25.07.2022 को आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में आहूत कृषि भाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम उपस्थित पदाधिकारियों के परिचय के बाद बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैठक में सर्वप्रथम आयुक्त महोदय, द्वारा संयुक्त निदेशक (शष्य), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया एवं प्रमंडलान्तर्गत सभी जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा दिये गये प्रतिवेदन की समीक्षा पावरप्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से की गई। बैठक में निम्न ऐजेंडों पर गहन समीक्षा की गई।

- कृषि यांत्रिकीकरण योजना एवं कृषि यंत्रों का सत्यापन :–
- फसलों की क्षति :–
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :–
- किसान सम्मान निधि योजना :–
- फसलों का आच्छादन :–
- उर्वरक की उपलब्धता, वितरण एवं कालाबाजारी :–
- डीजल अनुदान –
- मखाना की खेती :–
- बीजों का भंडारण :–
- पदाधिकारी द्वारा उर्वरक दुकानों की जाँच, छापामारी एवं की गई कार्रवाई :–
- राजस्व संग्रहण :–

उक्त सभी ऐजेंडों पर गहन समीक्षोपरांत आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा निम्न निदेश दिये गये :–

- **कृषि यांत्रिकीकरण योजना एवं कृषि यंत्रों का सत्यापन :–**

कृषि यांत्रिकीकरण योजना की समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी, को निदेश दिया गया कि कृषि विभाग की महत्वाकांक्षी योजना, किसान चौपाल के तहत् इसका आयोजन पंचायत, मुख्यालय के अलावा अन्य स्थानों पर भी करवाया जाय ताकि कृषकों को कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके एवं सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का लाभ किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। कृषि यांत्रिकीकरण योजना वर्ष 2022–23 के अंतर्गत कृषि यंत्रो का वित्तीय लक्ष्य पूरे पूर्णिया प्रमंडल का 950.33859 लाख है। संयुक्त निदेशक, शष्य, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा दिनांक 19.07.2022 से कृषि यंत्र क्रय हेतु कृषकों के लिये ऑन लाईन आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। कृषि यंत्रों के सत्यापन के संबंध में आयुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि कुल वितरित यंत्रों का भौतिक सत्यापन करने में शिथिलता न बरती जाय। संयुक्त निदेशक, शष्य, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को निदेशित किया गया कि नियमित अंतराल पर उक्त योजना की समीक्षा करते हुए शत– प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ पदाधिकारी को निदेशित करेंगे। कृषि समन्वयकों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाय एवं उन्हें कृषकों के बीच कृषि योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार का निदेश दिया जाय।

अनुपालन – संयुक्त निदेशक, शष्य, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/किशनगंज/अररिया।

➢ <u>फसलों का आच्छादन</u> :–

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में खरीफ फसल में सबसे ज्यादा धान की रोपणी चल रही है। पूरे पूर्णिया प्रमंडल में धान की रोपनी का आच्छादन प्रतिशत 56.49 प्रतिशत है जबकि मक्का का 15.84 प्रतिशत है। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि खरीफ फसल के आच्छादन में उर्वरक (यूरिया, डी0ए0पी0), उन्नत बीज वगैरह की कमी न हो और इसकी समीक्षा बराबर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जाय। फसल आच्छादन का स्थलीय सत्यापन कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन – संयुक्त निदेशक, शष्य,पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/किशनगंज/अररिया।

➢ <u>प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना</u> :–

इस योजना की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि कृषकों को योजनाओं की जानकारी देने हेतु पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक कृषकों को योजना का लाभ नियमानुसार दिलाने का प्रयास किया जाय। संयुक्त निदेशक, शष्य, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में इस योजना के वैसे लाभूक कृषक भी पाये गये जो आयकारदाता हैं। पूरे पूर्णिया प्रमंडल में आयकरदाता किसान लाभूकों द्वारा कुल 29,114,000–रु0 प्राप्त कर लिया गया है जिसके विरुद्ध मात्र 1,92,000/–रु0 की वापसी अब तक हो पायी है। आयुक्त द्वारा इस संबंध में निदेशित किया गया कि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के साथ बैठक कर Refundable Amount में वृद्धि लाने का प्रयास करेंगे एवं कृषि समन्वयक डोर–टू–डोर आयकरदाता किसान से मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत् प्राप्त राशि को वापस करवाने के लिए साकारात्मक कार्रवाई करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी बैंक एल0डी0एम0 से मिलकर ऐसे कृषकों के खाते से एकमुश्त राशि की कटौती का प्रयास करेंगे। संबंधित आयकरदाता किसान के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने की भी कार्रवाई की जाय और उन्हें नोटिस निर्गत किया जाय।

अनुपालन – संयुक्त निदेशक, शष्य, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/किशनगंज/अररिया।

➢ <u>उर्वरक की उपलब्धता, वितरण एवं कालाबाजारी</u> :–

उर्वरक की आवश्यकता, बिक्री एवं स्टॉक के संबंध में सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आच्छादन के आधार पर माहवार विभिन्न प्रकार की आवश्यकता के आलोक में उर्वरक की आपूर्ति हेतु विभाग को सूचित किया जाय ताकि सभी जिला को उर्वरक की आपूर्ति सतत् होता रहे एवं आवश्यकता के अनुरुप विभिन्न प्रकार के उर्वरक की माँग हेतु विभाग से सम्पर्क बनाये रखेंगे।

प्रमंडलान्तर्गत सभी जिला में उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी के विरुद्ध की गई कार्रवाई की गहन समीक्षा करते हुए निदेश दिया गया कि सभी जिला कृषि पदाधिकारी / अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत थोक / खुदरा उर्वरक विक्रताओं द्वारा जिला में उर्वरक का कृत्रिम अभाव दिखाकर कालाबाजारी या जमाखोरी न हो, इसके लिए लगातार औचक निरीक्षण अपने स्तर से छापामारी दल का गठन करते हुए करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में संयुक्त निदेशक (शष्य), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को भी निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से भी छापामारी दल का गठन कर सभी जिला में समय–समय पर औचक निरीक्षण / छापामारी करना सुनिश्चित करेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन **से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे। कृषकों को उचित मूल्य पर डी०ए०पी० एवं अन्य** उर्वरक उपलब्ध हो सके इसके लिये संयुक्त निदेशक (शष्य) पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को निदेश दिया गया कि वे प्रमंडलान्तर्गत सभी जिलों में जीरो टॉलरेंस नीति का शक्ति से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– संयुक्त निदेशक (शष्य), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया एवं जिला कृषि पदाधिकारी / अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण / सहायक निदेशक, रसायन, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज।

➢ मखाना की खेती :–

बैठक के क्रम में मखाने की खेती एवं इसके विकास पर गहन चर्चा की गई। आयुक्त, द्वारा निदेशित किया गया कि संयुक्त निदेशक (शष्य), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया नियमित अंतराल पर जिला उद्यान पदाधिकारी के साथ बैठक कर मखाना की पैदावार को बढाने में आवश्यक पहल करेंगे एवं अगली प्रमंडलीय स्तर बैठक में जिला उद्यान पदाधिकारी एवं पौधा संरक्षण पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे।

अनुपालन – संयुक्त निदेशक, शष्य, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया / जिला कृषि पदाधिकारी / जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णिया / कटिहार / किशनगंज / अररिया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की की कार्यवाही समाप्त की गई।

28/7/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 2438 **दिनांक** 28 / 07 / **2022**

प्रतिलिपि :– 1. कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला पदाधिकारी, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कृषि पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/सहायक निदेशक, रसायन पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. आई0टी0 मैनेजर, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त कार्यवाही को प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

28/7/22

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।